विधिक जागरूकता कार्यक्रम 2013-14

स्थान–प्रागंण उच्च माध्यमिक विद्यालय सरायखेमा जिला–अमेठी उ0 प्र0 227412

दिनॉक –17–18 मई 2014, समय सुबह 10:00 बजे

आयोजक:: सोसाईटी फॉर एनीमल हेल्थ एग्रीकल्चर सांइस एण्ड ह्यूमनिटी
प्रा0 कार्यालय –मुंशीगंज पोस्ट–एच0ए0एल0 कोरवा जिला– अमेठी –227412
फोन –91-9919947961, +91-9473795690
बेब– : www.sahashindia.org
Email: info@sahashindia.org,sahashindia@gmail.com

सहयोग – राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली भारत सरकार

अध्याय 1–अपराध और उसकी सूचना

अपराध क्या है– अपराध का अर्थ ऐसा कोई भी कृत्य अथवा चूक है जो कानून के अंतर्गत दण्डनीय है।
महिलाओं तथा बच्चों के प्रति अपराध हो जैसे–बलात्कार,हत्या,गम्भीर चोट,हमला, छेड.–छाड.,महिला के प्रति अपशब्द या गाली–गलौज,अपहरण,दहेज,लिंग परीक्षण करके गर्भपात करने पर नजदीक थाने में पुलिस प्राथमिकी दर्ज करवायें।
यदि नजदीक थाने में पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने में आनाकानी करे तो तत्काल जिला पुलिस अधिक्षक के पास प्राथमिकी दर्ज करायें। मजिस्ट्रेट से भी शिकायत करके प्राथमिकी दर्ज करवा सकते है। मजिस्ट्रेट जॉच अधिकारी से मामले की प्रगति रिपोर्ट मांगवा सकता है।

गिरफ्तारी के समय अधिकार

- गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार– पुलिस किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नही कर सकती है।
- अपराध के पूरे ब्यौरे जानने का अधिकार
- संबंधियों/मित्रों को सूचित करने का अधिकार – गिरफ्तारी करते ही पुलिस अधिकारी को ऐसी गिरफ्तारी और स्थान जहॉ गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रखा गया है के संबंध में सूचना तत्काल गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मित्र, संबंधी अथवा उसके द्वारा बताए या नामित किए गए अन्य व्यक्तियों को दी जानी होती है।
- गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके अधिकारों के संबंध में सूचित करना भी पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है।
- किसी भी महिला को सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा सिवाय अपवाद परिस्थितियों में और वह भी न्यायियक मजिस्ट्रेट से पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात।
- बिना किसी विलम्ब के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार –किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना 24 घंटे से अधिक के लिए हिरासत में रखना अवैध है।
- किसी कानूनी एडवोकेट से परामर्श लेने का अधिकार–यह अधिकार गिरफ्तार करने के पल से ही प्रारम्भ हो जाता है।
- दुर्व्यवहार तथा हथकड.ी लगाना – गिरफ्तारी के समय किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करना गैर कानूनी है।

उत्पीड.न तथा यातना के विरूध अधिकार–

- गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेना–कोई महिला पुलिस ही किसी महिला की तलाशी ले सकती है। यह तलाशी एक सम्मानजनक तरीके से ली जानी चाहिए।कोई पुरूष पुलिसकर्मी किसी महिला की तलाशी नहीं ले सकता है।
- एक पुरूष अधिकारी महिला के घर की तलाशी ले सकता है।ऐसी तलाशी बिना किसी तलाशी वारंट के ली जा सकता है।परन्तु कोई तलाशी तथा जब्त करने की क्रिया ,यदि कोई हो,तो मोहल्ले के दो स्वतंत्र तथा सम्मानित व्यक्तियों की मौजूदगी में किया जाना चाहिए।
- यदि कुछ जब्त या वसूल किया जाए तो एक पंचनामा तैयार किया जाना चाहिए। दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए होने चाहिए।
- जमानत का अधिकार –किसी महिला का यह जानने का अधिकार है कि जिस अपराध हेतु उसे गिरफ्तार किया है वह जमानत योग्य है अथवा नहीं। एक जमानत योग्य अपराध में किसी व्यक्ति के पास पुलिस द्वारा जमानत पर छोड. जाने का अधिकार होता है।एक गैर दृजमानत योग्य अपराध में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत के लिए अदालत में पेश होना पड.ता है।केवल मजिस्ट्रेट ही ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड.सकता है।
- यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत योग्य अपराध का दोषी है और वह निर्धन है तथा जमानत प्रस्तुत नहीं कर सकता तो उसे जमानत के बिना मुचलके को देने पर छोड.सकती है।

जॉच तथा अन्वेषण

- जॉच अधिकारी को पुलिस थाने में पूछताछ के लिए किसी भी व्यक्ति को बुलाने के लिए एक लिखित आदेश देना होता है।
- किसी भी व्यक्ति को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रेरित,धमकी अथवा प्रलोभन नहीं दिया जा सकता है।
- **पहचान को छुपाने का अधिकार** –बलात्कार की पीडि.त के मामले में यह कर्तव्य होता है कि उसकी पहचान को मीडिया सहित किसी द्वारा भी प्रकट न किया जाए।

- किसी महिला को पुलिस स्टेशन अथवा अन्यत्र कहीं गवाह के रूप में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता है।उनसे पूछताछ केवल उनके निवास पर ही की जा सकती है। पूछताछ के दौरान कानूनी सहायता अथवा किसी मित्र ही सहायता की अनुमति होती है।

मुकदमें के दौरान अधिकार–

- मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार और इसके संबंध में सूचित किए जाने का अधिकार–महिला सहित किसी भी आरोपी व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करवाना राज्य की संवैधानिक बाध्यता है।
- बचाव का अधिकार– प्रत्येक व्यक्ति के पास मुकदमें के दौरान किसी वकील द्वारा बचाव किए जाने का अधिकार है।

अध्याय 2–बलत्कार

बलात्कार कब माना जायेगा– बलात्कार तब हुआ माना जाता है जब कोई पुरूष निम्नलिखित स्थितियों में किसी महिला के साथ शारीरिक सम्बंध स्थापित करें–

- उसकी इच्छा के विरूद्व
- उसकी सहमति के बिना
- कभी–कभी शारीरिक सम्बंधों हेतु महिला की स्वीकृत प्राप्त किए जाने के पश्चात भी ,कृत बलात्कार हो सकता है यदि स्वीकृति को निम्नानुसार प्राप्त किया गया है
    - उसकी हत्या अथवा उसे चोट पहुॅचाने या उसके हित वाले किसी व्यक्ति की हत्या तथा चोट पहुॅचाने की धमकी देकर उसकी स्वीकृत प्राप्त करना।
    - उसका पति बनने का बहाना बनाकर उसकी स्वीकृत प्राप्त करना।
- जब वह निम्नलिखित के कारण अपनी सहमति की प्रकृति तथा परिणमों को न समझती हो–
    - मानसिक स्थिति ठीक न होने
    - उसे आरोपी अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा दी गई शराब अथवा नशीली दवाओं के प्रभाव में
- 16 वर्ष की आयु से कम की किसी महिला के साथ चाहे वह इस कृत्य के लिए स्वीकृती भी करती हो।

बलत्कार से संबधित कानूनी बातें

यदि पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम है और पति उससे यौन संबंध बनाता है तो बलात्कार माना जायेगा।यदि पत्नी और पति किसी अदालत के आदेश द्वारा अलग अलग रह रहें और पति बिना पत्नी की सहमति के उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किए तो बलात्कार होगा।

बलत्कार हेतु दण्ड

बलत्कार हेतु दण्ड कम से कम 7 वर्ष और यह 10 वर्ष तक बढ. सकता है।
कुछ मामलों में बलत्कार हेतु न्यूनतम दण्ड 10 वर्ष है। ये है–

- यदि पुरूष को पता हो कि महिला गर्भवती है तथा वह उसका बलत्कार करता है।
- यदि लड.की की आयु 12 वर्ष से कम है
- सामूहिक बलत्कार –ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी महिला का बलत्कार करने में किसी अन्य व्यक्ति की सहायता करता हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो उसे चिल्लाने से रोकता हो,ऐसा कोई व्यक्ति जो इस पर नजर रखता हो कि कोई आ तो नहीं रहा है ऐसे सभी बलत्कार के दोषी होगें।
- अभिरक्षा बलत्कार – यदि कोई पुलिस,लोकसेवक,कारागार,सुधार गृह अथवा अस्पताल का प्रबन्धक या स्टाफ बलत्कार करे तो दोषी होगें।

बलत्कार के मामले में क्या न करें–

स्नान न करे अथवा अपने वस्त्र न बदले– स्नान करने अथवा वस्त्र बदलने से महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है।यद्यपि यह बहुत गन्दा लगेगा और लड.की जानबूझकर स्नान करना चाहेगी, परन्तु उसे ऐसा नहीं करना चाहिए।

बलत्कार के मामले में क्या करें–

- किसी भरोसेमन्द व्यक्ति को बलत्कार के बारे में बताना सदैव ही बेहतर रहता है। तत्काल किसी के साथ पुलिस स्टेशन जाएं और यदि संभव हो तो ग्राम प्रधान या किसी संस्था या महिला आयोग से सम्पर्क करें।
- पुलिस के पास तत्काल प्राथमिकी दर्ज करायें ,यदि नजदीक थाने में पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने में आनाकानी करे तो तत्काल जिला पुलिस अधिक्षक के पास प्राथमिकी दर्ज करायें। मजिस्ट्रेट से भी शिकायत करके प्राथमिकी दर्ज करवा सकते है। मजिस्ट्रेट जॉच अधिकारी से मामले की प्रगति रिपोर्ट मांगवा सकता है।ऐसे मामले में विलम्ब महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नष्ट कर सकता है।
- पुलिस पीडि.ता को चिकित्सा जॉच हेतु भेजती है।वे उसकी वस्त्रों को लेकर उन्हें एक सील बन्द लिफाफे में रख सकती है ताकि उन्हें उचित जॉच हेतु भेजा जा सके। प्राथमिकी और चिकित्सा रिपोर्ट की एक प्रति सदैव मॉग लें। किसी भी पुलिस अथवा मजिस्ट्रेट को पीडि.ता को छूने का अधिकार नही है। केवल एक अर्हता प्राप्त चिकित्सक को ही चिकित्सा जॉच करने का अधिकार है।
- फिंगर जॉच का आदेश खत्म कर दिया गया है, चिकित्सक अब यह जॉच नही कर सकते।
- पीडि.ता अपनी शिकायत हेल्पलाइन न0 100,1090 या राष्ट्रीय महिला आयोग हेल्पलाइन न0 011–23213419,011–23236153, 011–23236153 ,उ0प्र0 राज्य महिला आयोग टोल फ्री न0 18001805220 पर फोन करके शिकायत दर्ज करा सकती है।

अध्याय 3– दहेज

दहेज का अर्थ ऐसी कोई भी संपत्ति अथवा मूल्यवान वस्तु होती है जो –

- वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को अथवा वर द्वारा वधू पक्ष को दी गई हो या देने पर सहमति बनी हो अथवा।
- वधू अथवा वर के माता–पिता में से किसी द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा
- विवाह में अथवा विवाह से पूर्व या विवाह के पश्चात कभी भी दहेज देना,लेना ,उसकी मांग करना अथवा उसका प्रचार भी करना एक अपराध है।

यदि किसी भी पक्ष द्वारा दहेज लिया गया है तो कानून यह प्रावधान करता है कि दहेज का उपयोग पत्नी के लाभ के लिए होगा और उसे उसके उत्तराधिकारियों को अंतरित किया जाएगा।

दहेज लेने अथवा देने के लिये दण्ड निम्नलिखित हैं–

- 5 वर्ष से अधिक की कैद और कम से कम 15000 रू0 जुर्मांना
- यदि दहेज की राशि 15000रू0 से अधिक है तो दण्ड की राशी दहेज की राशी जितनी होगी।
- दहेज की मांग करने हेतु दण्ड– 6 माह से अधिक की कैद जोकि 2 वर्ष तक बढ.ाई जा सकती है और जुर्मांना जोकि 10000रू0 तक हो सकता है।

क्रूरता

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए क्रूरता के अपराध से संबंधित है।

क्रूरता का अर्थ तथा इसमें शामिल कृत्य निम्नलिखित हैं–

- यदि पति अथवा पति का कोई संबंधी महिला के साथ क्रूरता से पेश आता हो तो उसे अथवा उस संबंधी को कैद का दण्ड दिया जाएगा जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकती है।उस पर जुर्मांना भी लगाया जा सकता है।
- किसी महिला को इस हद तक पीटना अथवा यातनाएं देना कि उसकी जीवन ,अंगों अथवा स्वास्थ्य को चोट पहुॅचे या खतरा हो अथवा जो महिला को आत्महत्या करने के लिये बाध्य करें।

- मानसिक तथा शारीरिक क्रूरता –धन अथवा सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिये महिला को यातनाएं देना,धमकी देना,मजबूर करना अथवा उसका उत्पीड.न ,बच्चा अथवा लड.का न होने पर ताने मारना आदि।
- पीडि.ता उसका कोई संबंधी अथवा कोई भी मान्यता प्राप्त कल्याण संगठन **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए अथवा दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत किसी विवाहित महिला पर** क्रूरता के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकता है।
- **दहेज हत्या धारा 304बी आईपीसी** – दहेज हत्या का मामला तब बनाया जाता है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों–
    - यदि किसी महिला की हत्या जलने से,शरीर की चोटों अथवा अप्राकृतिक परिस्थितियों में तथा विवाह के सात वर्ष के भीतर होती है।
    - ऐसे मामले में उसके पति तथा ससुराल वालों को उत्तरदायी माना जाएगा और यदि वे दोषी पाए जातें हैं तो उन्हें कम से कम 7 वर्ष के कारावास की सजा होगी जिसे आजीवन कारावास में बढ.ाया जा सकता है।
    - यदि यह पाया जाता है कि अपनी मृत्यु से ठीक पहले उसके पति अथवा पति के संबंधी द्वारा दहेज की मांग के संबंध में उसके साथ क्रूरता अथवा उसका उत्पीड.न किया जा रहा था तो ऐसी हत्या को **दहेज हत्या** कहा जा सकता है।

अध्याय 4– घरेलू हिंसा

घरेलू हिंसा का अर्थ–

- जीवन,अंग,स्वास्थ्य,सुरक्षा अथवा कुशलता को चोट पहुॅचाना अथवा खतरे में डालना।मानसिक या शारीरिक आघात।दहेज की मांग पूरी करने के लिए महिला को चोट पहॅचाना,किसी भी प्रकार का हमला,अपराधिक धमकी तथा अपराधिक रूप से बल का प्रयोग शामिल होता है।
- **यौन दुर्व्यवहार** – में इस प्रकार की यौन प्रकृति के कृत्य शामिल होते है जैसेकि जबरदस्ती यौन संबंध बनाना,अशलील समाग्री देखने के लिए बाध्य करना,गाली देना,अपमानित करना,नीचा दिखाना अथवा अन्य प्रकार से किसी की गरीमा का उल्लंघन शामिल है।
- **मौखिक तथा भावनात्मक दुर्व्यवहार**–जैसेकि चरित्र अथवा व्यवहार पर लांछन लगाना/कलंकित करना,दहेज न लाने के लिए अपमानित करना,लड.का न होने के लिए अपमानित करना,विद्यालय,कालेज अथवा अन्य शैक्षणिक संस्थान न जाने देने के लिए बाध्य करना,किसी को कोई रोजगार लेने से रोकना,जिस व्यक्ति में महिला की रूचि है उसे तंग करने के लिए धमकियां देना ।
- **आर्थिक दुर्व्यवहार** –जैसे कि महिला को उसके तथा उसके बच्चों के रख रखाव के लिए पैसा न देना,उसे भोजन,कपडे.,दवा आदि न देना,महिला को घर में न रखना,घर के किसी भाग पर पहुॅच अथवा प्रयोग से रोकना,उसे कोई रोजगार करने से रोकना,किराए के मकान वाले मामले में किराए का भुगतान न करना,बिजली आदि जैसे अन्य बिलों का भुगतान न करना,महिला की जानकारी और सहमति के बिना धन लेना और वस्तुओं को बेचना या गिरवी रखना शामिल है।

इस अधिनियम (2005)के अंतर्गत कौन कवर होता है– इस अधिनियम में ऐसी सभी महिलाएं कवर होती हैं जोकि किसी साझे घर में मॉ,बहन,पत्नी,विधवा अथवा साझेदार के रूप में रह रही हों।संबंध की प्रकृति विवाह या अपनाना हो सकती है।इसके अतिरिक्त,संयुक्त परिवार के रूप में रह रहे परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों को भी शमिल किया गया है।तथापि,पति की कोई महिला संबंधी अथवा पुरूष साझेदार पत्नी या महिला साझेदार के विरूद्व शिकायत दर्ज नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए सास अपनी बहू के विरूद्व कोई शिकायत नहीं कर सकती है किन्तु वह अपनी बहू के खिलाफ उसके साथ हिंसा करने के लिए उसके बेटे की सहायता करने की शिकायत कर सकती है।

शिकायत कौन कर सकता है–

- कोई भी महिला जिसके साथ दोषी द्वारा घरेलू हिंसा की जा रही हो या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति शिकयत दर्ज कर सकता है।
- कोई बच्चा भी घरेलु हिंसा अधिनियम के अंतर्गत राहत का पात्र है।ऐसे बच्चे की मॉ अपने अवयस्क बच्चे(पुरूष अथवा महिला)की ओर से आवेदन कर सकता है।ऐसे मामलों में जहॉ मॉ अदालत में स्वयं के लिए आवेदन करती है वहॉ बच्चों को भी सह–आवेदक के रूप में जोड.ा जा सकता है।

किसके विरूद्ध शिकायत की जा सकती है–

- कोई भी वयस्क पुरूष सदस्य जिसका किसी महिला के साथ घरेलू संबंध है।
- पति अथवा पुरूष के भागीदार के संबंधी।
- इसमें पुरूष के पुरूष तथा महिला के संबंधी शामिल हैं।

सूचना किसे दी जा सकती है अथवा शिकायत किससे की जा सकती है– सूचना अथवा शिकायत किसी पुलिस अधिकारी/सुरक्षा अधिकारी /कोई एनजीओ अथवा मजिस्ट्रेट को दी जा सकती है।

घरेलू संबंध क्या है–

- ऐसे दो व्यक्तियों के मध्य संबंध जो साथ रहते हैं अथवा किसी समय एक साझे घर में साथ रहे थे।
- उसमें सगोत्रता,विवाह की प्रकृति वाला सम्बन्ध शामिल है।
- घरेलू संबंध में प्रत्येक महिला के साझे परिवार में रहने का अधिकार है भले ही उसका उसमें कोई अधिकार ,स्वामित्व या हित न हो।

आश्रयगृह तथा चिकित्सा सहायता हेतु प्रावधान– कोई व्यथित महिला अथवा उसकी ओर से बचाव अधिकारी या सेवा प्रदाता आश्रयगृह के प्रभारी अथवा किसी चिकित्सा सुविधा से उसे आश्रय या चिकित्सा सहायता मुहैया करवाने का अनुरोध कर सकता है।

अधिनियम के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए जा सकने वाले आदेश–

मजिस्ट्रेट निम्नलिखित आदेश दे सकता है–

- प्रतिवादी और व्यथित व्यक्ति को अकेले या संयुक्त रूप से परामर्श लेने का निर्देश दें।
- यह निर्देश दे कि महिला को परिवार अथवा उसके किसी भाग से निकाला अथवा अलग नहीं किया जाएगा।
- यदि आवश्यक समझा जाए तो कार्यवाही को गुप्त रूप से किए जाने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं।
- महिला को सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए सुरक्षा आदेश जारी करना।
- घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप महिला अथवा उसके किसी बच्चे द्वारा किए गए व्यय और हुई हानि को पूरा करने के लिए मौद्रिक सहायता प्रदान करना।
- अभिरक्षा आदेश देना अर्थात व्यथित व्यक्ति को किसी बच्चे या बच्चों की अस्थाई अभिरक्षा।
- प्रतिवादी द्वारा किए गए घरेलू हिंसा के कृत्यों,जिसमें मानसिक यातना तथा भावनात्मक तनाव शामिल हैं,द्वारा उत्पन्न चोटों हेतु मुआवजा/क्षतिपुर्ति देना।

घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत राहत को अन्य कानूनी कार्यवाहियों अर्थात तलाक ,अनुरक्षण हेतु याचिका ,भारतीय दंड संहिता की धरा 498ए में भी मांगा जा सकता है।

अध्याय 5– कार्य स्थल पर यौन उत्पीड.न

कार्य स्थल पर यौन उत्पीड.न अधिनियम 2013 के आधीन प्रतिबंधित है।

यौन उत्पीड.न तब हुआ माना जाएगा जब–

- कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारिरिक अतरंगता/संपर्क के अनचाहे कृत्य को करता है जैसे कि पकड.ना ,रगड. खाना,छूना,पिंच करना,फब्तियां कसना आदि।
- किसी व्यक्ति से सीधे तौर पर अथवा अप्रत्यक्ष रूप से यौन सम्बन्धों की अवांछित मांग करना।
- किसी व्यक्ति को चित्र/कार्टून/पिन–अप/कलेन्डर/स्क्रीन सेवर वर्जन वाले कम्प्यूटरों/किसी आपत्तिजनक लिखित समाग्री/पोर्नोग्राफिक ई–मेल आदि के माध्यम से यौन बहुलता वाली समाग्री प्रदर्शित करना अथवा यौन प्रकृति का कोई अवांछनीय कृत्य करना।
- फब्तियों कसना ,ऐसे चुटकले सुनाना जो असमन्जस्य वाली स्थिति अथवा लज्जा उत्पन्न करते हों, सांकेतिक टिप्पणी,यौन टिप्पणियां करना।

कार्य स्थल क्या है– सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र में कार्य संस्थाएं,निर्माण स्थल,फैक्ट्री,शैक्षणिक संस्थान, खान आदि कार्य स्थल है।

कार्य स्थल पर यौन उत्पीड.न अधिनियम 2013 की मुख्य बातें–

- सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र की स्थानीय कमेटी को 3 महीने के अन्दर यौन उत्पीड.न की शिकायत करनी होगी।
- सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र की स्थानीय कमेटी 7 दिन के अन्दर पुलिस को आई0पी0सी0 धारा 509 के आधीन पंजीकृत करने के लिए भेज देना होगा।
- पीडि.त महिला का पूछ–ताछ के दौरान स्थानीय कमेटी किसी अन्य स्थान पर स्थानांनतरित कर सकती है।
- स्थानीय कमेटी अपनी जॉच रिपोर्ट पूछ–ताछ के दिन से 10 दिन के अन्दर सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र या जिला अधिकारी को देगी और यह रिपोर्ट कोई भी पार्टी ले सकती है।
- सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र या जिला अधिकारी जॉच रिपोर्ट आने पर 60 दिन के अन्दर दोषी के खिलाफ कार्यवाही करेगी।
- सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र दोषी के खिलाफ दुराचार की प्रकृति के अनुसार निजी क्षेत्र की सेवा नियमावली के आधार पर कार्यवाही करेगी।
- सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र पीडि.ता की दुराचार की प्रकृति के अनुसार दवा,खोये हुए पेशे के अवसर के आधार पर दोषी के वेतन से पीडि.ता को मुआवजा का भुकतान कर सकती है।
- सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र पीडि.ता की शिकायत जॉच रिपोर्ट के आधार पर गलत पाती है तो निजी क्षेत्र पीडि.ता के खिलाफ सेवा नियमावली के आधार पर कार्यवाही करेगी।
- सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र पीडि.ता का नाम,पता,गवाह, पूछ–ताछ और कार्यवाही की फोटो प्रति समाचार,मीडिया में सार्वजनिक नही कर सकती है।

आपको क्या करना चाहिए–

- उत्पीड.न करने वालों को उसके कृत्यों के लिए सजा दिलवाएं।लोगों को पता चले कि उसने क्या किया था।
- उत्पीड.न पर आपत्ति करना एक सिद्वान्त तथा महिला के अधिकार का मामला है।
- उत्पीड.न करने वाले के बहाने अथवा भटकाने वाली कोशिशों का प्रतिउत्तर न दें।
- बोलना–यौन उत्पीड.न के संबंध में बोलना इसे रोकने के लिए एक प्रभावी अस्त्र है। यह इसके विरूद्व जनमत को जुटाता है।
- ऐसे उत्पीड.न को तत्काल अथवा जितना शीघ्र सम्भव हो अपने वरिष्ठ अधिकारी अथवा पुलिस को सूचित करें।

अध्याय 6– यौन शोषण

अवैध मानव व्यापार के संबंध में जानने योग्य बातें–

- महिलाओं तथा बच्चों के अवैध मानव व्यापार में जबरदस्ती देह व्यापार शामिल है।
- लाभ हेतु भर्ती करने वाले अथवा अवैध मानव व्यापार करने वाले महिलाओं तथा बालिकाओं को यौन अथवा आर्थिक रूप से दमनकारी और शोषणकारी स्थितियों तथा साथ ही अन्य अवैध क्रियाकलापों में भेजने के लिये बाध्य करते हैं।
- महिलाएं तथा बालिकाएं विशेष रूप से संवेदनशील हैं।
- **अवैध मानव व्यापारियों /एजेंटों के कार्य करने का तरीका निम्नलिखित है–**
  - रोजगार अथवा विवाह के वायदे आम तकनीक हैं जिनसे भर्ती करने वाले अपने शिकार को घर छोड.ने के लिए लुभाते है।
  - अपहरण करना।
  - गॉव की लड.कियों तथा उनके परिवारों को अक्सर एजेंटों/दलालों द्वारा धोखा दिया जाता है जो उन्हें विवाह तथा आधुनिक शहरी जीवन की सारी सुख–सुविधाओं कां लालच देते है।वे एक स्थानीय समारोह करके गांव से चले जातें हैं और फिर कभी वापस नहीं आते।ऐसी लड.कियां अन्ततः वेश्यालयों में पहुंच जाती हैं।
  - कभी –कभी वे लड.कियों से शहर में रोजगार दिलाने का भी वायदा करते हैं।
  - एक अन्य तरीका किसी दूर के संबंधी अथवा मित्रों के माध्यम से होता है जो किसी अन्य गांव में किसी संबंधी अथवा मित्र के साथ विवाह करवाने का बहाना करते हैं जबकि लड.की को अगवा करके उसे किसी वेश्यालय में भेज देतें हैं।

प्रभाव

- शारिरिक तथा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य समस्याएं।

- इन समस्याओं में जन्म नियंत्रण,लगातार बलात्कार, शारिरिक दुर्व्यवहार और अन्य स्वास्थ्य मुददे शामिल हैं।
- जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में लाई गई महिलाओं को एचआईवी/एडस सहित यौनजनित संक्रमण का जोखिम होता है।

कुछ कानूनी प्रावधान–

- वेश्यावृत्ति का अर्थ है कमाने के लिये व्यक्तियों का यौन शोषण अथवा उनके साथ दुव्यर्वहार
- कोई भी व्यक्ति जो किसी महिला अथवा लड.की से वेश्यावृत्ति करवाता है अथवा किसी महिला या लड.की को वेश्यावृत्ति करने के लिए प्रेरित करता है, वह एक अपराधी है।
- किसी ऐसे परिसर में जहॉ वेश्यावृत्ति की जाती हो वहॉ किसी महिला अथवा लड.की को रखना कानूनन दण्डनीय है।
- कोई भी व्यक्ति जो किसी वेश्यालय की व्यवस्था करता है अथवा उसकी व्यवस्था करने में सहायता करता है,वह अपराधी है।
- 18 वर्ष की आयु से अधिक का कोई भी व्यक्ति जो पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से किसी महिला अथवा लड.की की वेश्यावृत्ति से प्राप्त होने वाली आय पर अपनी आजीविका चलाता है, वह कानून दण्ड का भागीदार है।

अध्याय 7– बाल विवाह

बाल विवाह प्रतिबंधित है– बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 ,21 वर्ष की आयु से कम के किसी लड.के और 18 वर्ष की आयु से कम की किसी लड.की का विवाह किए जाने को प्रतिबंधित करता है।

कोई बच्चा जो विवाहित है उसका विवाह को रदद करने का अधिकार –

- कानून में विवाह के समय बालक /बालिका होने वाले किसी पक्ष को अपना विवाह रदद घोषित करने का अधिकार है।यदि कोई बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का है और अपने विवाह को रदद करवाना चाहता है तो वह अपनी याचिका को अपने मित्र/संरक्षक के माध्यम से किसी बाल विवाह निषेध अधिकारी के पास दायर कर सकता है। तथापि ,यदि उसे रददीकरण का आदेश 18 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात प्राप्त करना है तो वह स्वयं याचिका दायर कर सकता है।
- ऐसा विवाह रदद घोषित होने पर पक्षों के मध्य आदान–प्रदान किया गया रूपया,कीमती वस्तुएं,गहने तथा अन्य उपहारों को भी वापिस किया जाना होगा।
- अदालत पति के 18 वर्ष से कम आयु का होने पर पति अथवा उसके माता–पिता/अभिभावक को पत्नी के पुनर्विवाह तक भरण–पोषण का भुकतान करने के लिए एक अन्तरिम अथवा अंतिम आदेश भी पारित कर सकती है।
- यदि ऐसे विवाह से कोई बच्चा उत्पन्न होता है तो अदालत उसके श्रेष्ठ हितों को ध्यान में रखते हुए उसकी अभिरक्षा पर निर्णय ले सकती है।यह नोट किया जाए कि बाल विवाह से जन्म लेने वाले बच्चे वैध होते है।

बाल विवाह के लिए किसे दण्डित किया जा सकता है–

- कोई पुरूष जो 18 वर्ष की आयु से अधिक का है और 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से विवाह करता है तो उसे 2 वर्ष का कठोर कारावास अथवा जुर्माना जोकि 1 लाख रू0 तक हो सकता है अथवा दोनों का दण्ड दिया जा सकता है।
- कोई व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, करता है अथवा उसमें सहायता करता है को 2 वर्ष का कठोर कारावास अथवा जुर्माना जोकि 1 लाख रू0 तक हो सकता है अथवा दोनों का दण्ड दिया जा सकता है।
- कोई व्यक्ति जो बाल विवाह को बढ.ावा देता है, अथवा उसकी अनुमति देता है को 2 वर्ष का कठोर कारावास अथवा जुर्माना जोकि 1 लाख रू0 तक हो सकता है अथवा दोनों का दण्ड दिया जा सकता है।किसी महिला को कारावास का दण्ड नहीं दिया जा सकता है।

बाल विवाह निषेध करने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति–

मजिस्ट्रेट निम्नलिखित मामलों में निषेधाज्ञा जारी कर सकता है–

- किसी ऐसे व्यक्ति अथवा किसी एनजीओ द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने पर जिसे पता है अथवा जिसके ऐसा मानने का कोई कारण है कि ऐसा विवाह आयोजित किया जाने वाला है।
- यदि आवेदन किसी बाल विवाह निषेध अधिकारी द्वारा गया है।
- और स्वयं जब उसे ऐसे किसी विवाह के संबंध में विश्वसनीय सूचना मिले अथवा अक्षय तृतीया जैसे कुछ दिनों पर विवाह को होने से रोकने के लिए ।

बाल विवाह के दुष्प्रभाव–

- गम्भीर स्वास्थ्य खतरे
- एचआईवी,एनीमिया,स्त्री रोग समस्याएं
- 15 से 19 वर्ष की आयु की युवतियों के मध्य गर्भवती होना मृत्यु का एक प्रमुख कारण है।
- लड.कियों की शैक्षणिक,समाजिक तथा आर्थिक वृद्वि को रोकता है।

अध्याय 8– लिंग चयन/भ्रूण में लिंग का निर्धारण

भ्रूण के लिंग की जानकारी देना कानूनन अपराध है। भ्रूण के लिंग की जानकारी और हत्या अधिनियम 1971 में प्रतिबंधित है।

मुख्य बातें–

- प्रसव से पूर्व तथा इसके पश्चात लिंग चयन प्रतिबंधित है।
- लिंग चयन का अर्थ यह सुनिश्चित करने के लिए भ्रूण किसी विशेष लिंग का होगा,किसी प्रक्रियाविधि,तकनीक ,परीक्षण तथा सलाह का कोई रूप शामिल है।
- कोई स्त्री रोग अथवा चिकित्सा प्रक्रियाविधि जैसे कि अल्ट्रासाउंड आदि जो कानून द्वारा नियंत्रित है।
- भ्रूण के लिंग के निर्धारण के प्रयोजन हेतु किसी भी महिला पर कोई प्रयोगशाला,अस्पताल,क्लीनिक अथवा चिकित्सक परीक्षण नहीं कर सकता है।
- ऐसा करने वाला किसी व्यक्ति को कानून के अंतर्गत दण्ड दिया जा सकता है।
- किसी महिला को उसके पति अथवा किसी संबंधी द्वारा भ्रूण के लिंग निर्धारण हेतु ऐसे किसी भी परीक्षण को करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
- शब्द ,क्रिया आदि द्वारा किसी भी तरीके से भ्रूण के लिंग को बताना कानून के अंतर्गत दण्डनीय है।
- यह बलिका के प्रति भेदभाव है।
- इसके प्रतिकूल सामाजिक–आार्थिक तथा स्वास्थ्य प्रभाव होते है।
  - महिला का स्वास्थ्य प्रभावित होता है क्योंकि उसे कई बार गर्भवती होने तथा गर्भपात कराने के लिए बाध्य किया जाता है।
  - समाज में महिलाओं की घटती हुई संख्या से यौन–संबंधित अपराधों और महिलाओं के प्रति हिंसा में वृद्वि होती है।
  - ऐसे असंतुलनों की कई सामाजिक समस्याओं जैसे कि दहेज,बाध्यकारी बहुपतित्व,बलात्कार,बाल विवाह ,वधू को बेचा जाना और विवाह हेतु महिलाओं के अपहरण में भी वृद्वि करने की संभावना होती है।

गर्भपात वैध कब होता है–

- यदि गर्भावस्था को जारी रखने में मां के जीवन को जोखिम अंतर्ग्रस्त हो।
- गर्भावस्था को जारी रखने में मां के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को गम्भीर क्षति हो सकती हो।
- गर्भावस्था बलात्कार के कारण हुई हो।
- यदि बच्चा जन्म लेता है तो वह अत्यधिक विकृत होगा।
- दम्पति द्वारा अपनाई गई परिवार नियोजन की पद्धति असफल रही हो।

गर्भपात कौन करवा सकता है–

- यह केवल किसी सरकारी अस्पताल में अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अस्पताल या क्लीनिक में किया जा सकता है।
- केवल एक दक्ष चिकित्सक ही गर्भपात करने के लिए प्राधिकृत है।
- दाइयों,नर्सों अथवा नीम–हकीम द्वारा किया गया गर्भपात अवैध है।

गर्भपात कब करवाया जा सकता है–

- गर्भपात, गर्भधारण से 12 सप्ताह पूरे होने से पहले करवाया जा सकता है।
- यदि गर्भावस्था 12 सप्ताह से अधिक की हो जाती है तो दो चिकित्सकों के परामर्श पर ही गर्भपात करवाया जा सकता है।
- गर्भधारण के 20 सप्ताह से अधिक होने पर गर्भपात नहीं करवाया जा सकता है।

अध्याय 9– निःशुल्क कानूनी सहायता

विधिक सेवाएं

- निःशुल्क कानूनी सहायता को यह सुनिश्चित करने के लिए मुहैया करवाया जाता है कि आार्थिक अथवा अन्य असमर्थताओं के कारण से किसी नागरिक को न्याय से वंचित होने का अवसर न मिले।
- कानूनी कार्यवाहियों को करने में कोई भी सेवा प्रदान करना शामिल होता है।

निःशुल्क कानूनी सेवाएं देने हेतु पात्रता–

कोई व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता,कानूनी परामर्श अथवा निःशुल्क कानूनी सेवाओं का पात्र तब होगा यदि वह व्यक्ति–

- अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबद्ध हो
- मानव व्यापार अथवा बेगार का पीडि.त हो
- कोई महिला अथवा बच्चा हो
- मानसिक रोगी अथवा अन्यथा निशक्त हो
- बड.ी आपदा,जातीय हिंसा,जातिगत अत्याचार,बाढ.,सूखे,भूकंप अथवा औधोगिक आपदा का पीडि.त हो
- कोई औधोगिक श्रमिक हो
- हिरासत में होने वाला कोई व्यक्ति हो

कानूनी सेवाएं प्राप्त करना–

- कानूनी सहायता किसी व्यक्ति को ऐसे मामले में मुहैया करवाई जा सकती है जहॉ अदालत के समक्ष कोई मुकदमा अथवा अन्य कोई कार्यवाही शामिल हो।
- जिस व्यक्ति को कानूनी सहायता मुहैया करवाई जा रही है उसके द्वारा मुकदमेंबाजी पर कोई भुगतान किया जाना अपेक्षित नहीं होता है।मुहैया कराई जाने वाली कानूनी सेवाओं में निम्नलिखित में से एक अथवा अधिक शामिल हो सकते हैं–
  - किसी भी कानूनी कार्यवाही के सम्बन्ध में देय अथवा व्यय किए जाने वाले अदालत शुल्क,प्रक्रिया शुल्क अथवा अन्य सभी प्रभार
  - किसी कानूनी कार्यवाही में निर्णय,आदेश तथा अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों को प्राप्त करने तथा देने की लागत
  - किसी कानूनी कार्यवाही में किसी विधिक प्रैक्टीशनर द्वारा किसी कानूनी कार्यवाही अथवा अभ्यावेदन के प्रारूपण,तैयार करने तथा दायर करने हेतु प्रभार
  - कानूनी कार्यवाहियों में पेपर बुक और तत्संबंधी प्रासंगिक कार्यों को तैयार करने की लागत
- प्रत्येक राज्य तथा जिले में विधिक सेवा प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं।
- तालूक अथवा मंडल विधिक सेवा समितियां गठित की गई हैं।
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण वह केन्द्रीय प्राधिकरण है जो विभिन्न योजनाओं को लागू करता है जैसे कि लम्बित मामलों के निपटाने हेतु लोक अदालतें,कानूनी साक्षरता तथा जागरूकता अभियान,जेलों में कानूनी सहायता सुविधएं आदि।
- विधिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय अथवा जिला न्याययलयों में सम्पर्क करना होता है जहॉ कानूनी सेवाएं मुहैया करवाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन किया गया है।

अध्याय 10– श्रम कानून

बन्धुआ मजदूरी –

- ऐसी कोई भी व्यवस्था जिसके अंतर्गत ऋण लेने वाले अथवा उसके आश्रितों को ऋण चुकाने के लिए बिना किसी मजदूरी के ऋणदाता हेतु कार्य करना पड.ता है वह बन्दुआ मजदूरी है और यह कानून द्वारा प्रतिबंधित है।
- बेगार की व्यवस्था अथवा बाध्यकारी श्रम के अन्य रूप बन्दुआ मजदूरी प्रथा अधिनियम 1976 के अंतर्गत एक अपराध है।
- यदि कही ऐसी प्रथा प्रचलित है तो उसकी सूचना जिलाधिकारी/किसी सामाजिक अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्त्ता को देनी चाहिए।

बच्चे की परिभाषा–

बाल श्रम अधिनियम 1986 बच्चे को **कोई व्यक्ति जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की** है के रूप में परिभाषित करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम में समय से पूर्व वयस्क जीवन जीने वाले,उनके स्वास्थ्य तथा उनके शरीरिक एवं मानसिक विकास को क्षति पहुंचाने वाली स्थितियों के अंतर्गत निम्न मजदूरी हेतु अधिक घंटों तक कार्य करने वाले बच्चे शामिल होते हैं।वे प्रायः अपने परिवारों से वंचित होते हैं जो उन्हें एक बेहतर भविष्य मुहैया करवा सके।

बाल श्रम के बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव–

अक्सर खतरे वाली तथा अस्वस्थ्यकर स्थितियों में अधिक घंटों तक कार्य करने वाले बच्चों को लम्बे समय तक रहने वाली शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंचती है।उनमें निम्नलिखित समस्याएं विकसित होने लगती है–

- श्वसन समस्याएं जैसेकि अस्थमा,क्षयरोग
- आम कमजाकरी,अविकसित वृद्धि,शरीर में तथा जोड.ों में दर्द
- खराब दृष्टि तथा आंखों की अन्य समस्याएं जैसेकि पानी आना,जलन होना और आखे लाल हो जाना
- भूख न लगना
- टयूमर तथा जले हुए के निशान
- करघे पर कार्य करने से निशक्तता
- आयु बढने के साथ–साथ आर्थराइटिस होने के प्रति संवेदनशीलता
- मानसिक परेशानियां

बाल श्रम (निषेधन तथा विनियमन)अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताएं

- अधिनियम की अनुसूची के भाग क तथा ख में सूचीबद्ध व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में किसी भी ऐसे व्यक्ति के रोजगार को प्रतिबंधित करता है जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी न की हो।
- प्रतिबंधित व्यवसायों अथवा प्रक्रियाओं की अनुसूची में संशोधन करने की निर्णय हेतु एक प्रक्रियाविधि निर्धारित करता है।
- ऐसे अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में बच्चों के रोजगार हेतु वृद्धित दण्डों को निर्धारित करता है। अधिनियम की धारा 14 अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित न की गई और निम्नलिखित प्रावधानों द्वारा विनियमित व्यावसायों तथा प्रक्रियाओं में नियोजित बच्चों को धारा 3 के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी बच्चों को कार्य के लिए नियोजित करने अथवा अनुमति देने के लिए 1 वर्ष तक के कारावास (न्यूनतम 3 माह)और 20000 रू0 तक के जुर्माने (न्यूनतम 10000रू0)अथवा दोनों के दण्ड का प्रावधान करती है।
- किसी भी बच्चे को सायं 7 बजे से प्रातः8 बजे के मध्य कार्य करने की अनुमति नहीं है।
- किसी भी बच्चे से निर्धारित समय से ज्यादा कार्य नहीं लिया जाएगा।
- प्रत्येक बच्चे को एक साप्ताहिक अवकाश मिलेगा।

नियोक्ता के लिए यह बाध्यता है कि वह बच्चों के रोजगार के संबंध में निरीक्षक को सूचना प्रस्तुत करें। नियोक्ता हेतु इस मुददे पर एक रजिस्टर का अनुरक्षण बाध्यकारी है।

महिलाओं के लिए श्रम कानून के अंतर्गत अधिकार

प्रसूति लाभ–

- प्रत्सेक महिला प्रसूति लाभ की अधिकारी है।
- प्रसूति लाभ का अर्थ है किसी महिला को उसके नियोक्ता द्वारा प्रसूति के कारण अनुपस्थिति के चलते देय मजदूरी।
- महिलाएं चिकित्सा बोनस की भी पात्र है।
- गर्भस्त्राव अथवा चिकित्सकीय कारणों से गर्भपात या नसबन्दी आपरेशन के लिए मजदूरी के अवकाश की पात्र हैं।

- यह लाभ किसी फैक्ट्री,खान,बागान,दुकान,किसी सरकारी संस्थापना,किसी उद्योग आदि में नियोजित प्रत्येक महिला पर लागू होता है।लाभ में गर्भावस्था के दौरान तथा गर्भावस्था के पश्चात और मातृत्व के प्रारम्भिक माह के दौरान अवकाश शामिल होते हैं।
- डिलीवरी के पूर्व पूर्ण वेतन के साथ 6 सप्ताह का अवकाश, डिलीवरी के पश्चात पूर्ण वेतन के साथ 6 सप्ताह का अवकाश।
- यदि नियोक्ता के पास कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है तो उसे श्रमिक को 250 रू0 का एक चिकित्सा बोनस भी देना चाहिए।
- यदि किसी महिला का गर्भस्त्राव हो जाता है तो वह गर्भस्त्राव के पश्चात पूर्ण वेतन के साथ 6 सप्ताह के अवकाश की पात्र है।
- यदि कोई श्रमिक गर्भावस्था, डिलीवरी अथवा गर्भस्त्राव या समय से पूर्व किसी बच्चे का जन्म होने के कारण बीमार हो जाता है तो वह एक और माह के वेतन अदा किए जाने वाले अवकाश को ले सकता है। किसी महिला श्रमिक को जब तक उसका बच्चा 15 माह का न हो जाए तब तक श्रमिकों को दिए जाने वाले सामान्य ब्रेक के अतिरिक्त दिन में किसी भी 2 बार उसके बच्चे के पोषण हेतु ब्रेक दिया जाना चाहिए।
- प्रसूति लाभ तब भी दिए जाते है जब बच्चे की जन्म से पूर्व या जन्म के पश्चात मृत्यु हो जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम यह प्रावधान करता है कि–

- किसी श्रमिक को कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए।सरकार द्वारा प्रत्येक कार्य के लिए एक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है।
- समान काम के लिए पुरूष और महिला दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए।
- मजदूरी का निर्धारण घंटे की दर से ,दिन की दर से या माह की दर से किया जा सकता है।
- मजदूरी को नकदी में अदा किया जाना चाहिए।कृषि में मजदूरी को आंशिक रूप में वस्तु में दिया जा सकता है।
- कानून द्वारा निर्धारित किए गए के अतिरिक्त मजदूरी में से कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए।
- कार्य करने के घंटे निर्धारित हैं। नियोक्ता किसी श्रमिक से दिन में 9 घंटे से अधिक कार्य करने के लिए नहीं कह सकता है।
- अतिरिक्त कार्य हेतु नियोक्ता को दुगुनी मजदूरी अदा करनी होती है।

फैक्ट्रियों में कार्य कर रही महिलाओं हेतु सुविधाएं

कानून फैक्ट्रियों में कार्य कर रही महिलाओं के लिए निम्न सुविधाओं का प्रावधान करता है।

- पृथक शौचालय तथा वॉशरूम
- 30 महिला श्रामिकों से अधिक वाली किसी फैक्ट्री में बच्चों हेतु क्रैच मुहैया करवाई जानी चाहिए।
- महिलाओं को निर्धारित वजन से अधिक उठाने के लिए नहीं कहा जा सकता है।
- महिलाओं को किसी चलती हुई मशीन को साफ करने अथवा उसमें तेल डालने के लिए नहीं कहा जा सकता है।
- कार्य के घंटे एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक नहीं हो सकता है।
- महिलाओं को सप्ताह में एक दिन का अवकाश मिलना चाहिए।
- महिलाओं से एक बार में 5 घंटे से अधिक तक कार्य नहीं लिया जा सकता है।

समान कार्य हेतु समान वेतन

- यदि कोई महिला पुरूष के समान कोई कार्य कर रही हैं जिसमें आवश्यक कौशल,प्रयास तथा उत्तरदायित्व समान है तो उसे पुरूष को मिलने वाली पारिश्रमिक के सामान ही पारिश्रमिक मिलना चाहिए।
- नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले किसी भी भेद–भाव को श्रम अधिकारी/निरीक्षक/ट्रेड यूनियन/समाजिक कार्यकर्ताओं को सूचित किया जाना चाहिए।

अध्याय 11– सूचना का अधिकार–

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यह प्रावधान करता है कि–

- सभी नागरिकों के पास सूचना का अधिकार है।

- प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकारी की लिखित अनुरोध पर अथवा ई–मेल आदि जैसे इलेक्ट्रोनिक साधनों द्वारा अनुरोध किए जाने पर सूचना मुहैया करवाने की बाध्यता है।

आप किससे सूचना प्राप्त कर सकते हैं

सूचना केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत किसी **सार्वजनिक प्राधिकारी** से प्राप्त की जा सकती है। **सार्वजनिक प्राधिकारी का अर्थ है–**

- सभी केन्द्रीय,राज्य तथा स्थानीय स्तर के निकाय जिन्हें संविधान के अंतर्गत अथवा अन्य किसी राज्य या केन्द्रीय संविधि के अंतर्गत स्थापित किया गया है जिसमें राष्ट्रपति,विधायिका तथा न्यायपालिका और सभी संबंधित मंत्रालय,विभाग तथा एजेंसियों जैसे निकाय शामिल हैं।
- सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से काफी अधिक मात्रा में वित्त पोषित किसी भी गैर–सरकारी संगठन के स्वामित्व वाली,उसके द्वारा नियंत्रित अथवा व्यापक रूप से वित्त पोषित कोई निकाय।

सूचना प्रदान करने से किन्हें छूट प्राप्त है

केन्द्रीय अधिनियम कुछ निकाय जैसेकि सुरक्षा एजेंसियों को सूचना मुहैया करवाने की बाध्यता से अलग रखता है।

किसी नागरिक द्वारा सूचना मांगे जाने से पूर्व ही सार्वजनिक प्राधिकारी को सूचना मुहैया करवाने का कर्तव्य

सरकार निकायों में भ्रष्टाचार की समस्या के मद्देनजर अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकारी को नियमित रूप से कुछ जानकारी देनी होती है जैसेकि उसके कार्यकरण ,निर्णय लेने के मानदण्ड,रखे गए दस्तावेज,कर्मचारियों के सम्पर्क और बजट।इसमें आर्थिक सहायता योजनाओं,छूटों तथा परमिट के सम्बन्ध में जानकारी का नियामित रूप से प्रकटीकरण भी अपेक्षित होता है।यदि सार्वजनिक प्राधिकारी नियमित रूप से ऐसी सूचना को प्रकट नहीं करते हैं तो कोई भी नागरिक किसी सूचना आयोग को शिकायत कर सकता है।

किस सूचना हेतु अनुरोध किया जा सकता है

अधिनियम के अंतर्गत सूचना को काफी व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। कोई नागरिक विभिन्न प्रकार के प्रारूपों में सूचनाओं का अनुरोध कर सकता है। जैसे कि –

- फ्लॉपी,डिस्क,टेप,वीडियो टेप अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना प्राप्त करना
- दस्तावेजों अथवा अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना।
- अभिलेखों की जॉच करना
- सार्वजनिक कार्यों की जॉच करना
- सार्वजनिक कार्यों से समाग्री के नमूने लेना।

किसे आवेदन करें–

आवेदन संबंधित विभाग के जन सूचना अधिकारी अथवा सहायक जन सूचना अधिकारी को दिया जाना चाहिए।इन अधिकारियों की सूची आमतौर पर इंटरनेट पर उपलब्ध होती है। जन सूचना अधिकारी से यह भी अपेक्षित है कि वे जहॉ आवेदक स्वयं लिखित में आवेदन देने में असमर्थ हों वह वहॉ पर उनकी आवेदन देने मे सहायता करें।

आप कैसे आवेदन करेगें–

आवेदन एक सादे कागज पर लिख कर दे सकतें है और जानकारी ले सकते है।

सूचना प्राप्त करने के लिये शुल्क

केन्द्रीय शुल्क नियमावली सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन देने हेतु शुल्क अदा किए जाने का प्रावधान करती है।यदि सार्वजनिक प्राधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध करवा पाने में असमर्थ होता है तो कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आमतौर पर शुल्क को नकद,चेक,पोस्टल ऑडर अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अदा किया जाता है। केन्द्र सरकार के सार्वजनिक प्राधिकाकरयों को आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क निम्नलिखित है–

- आवेदन शुल्क 10 रू0 प्रति आवेदन
- पहुंच हेतु शुल्क–
  - ए4/ए3 पेपर प्रतियां –बनाए गए अथवा कापी किए गए प्रति पृष्ठ हेतु 2 रू0
  - बडे. आकार का पेपर– प्रतिलिपि की वास्तविक लागत
  - नमूने/मॉडल– की वास्तविक लागत
  - फ्लॉपी,डिस्क,टेप,वीडियो टेप अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक– 50 रू0 प्रति नग

- गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति को कोई शुल्क देय नहीं है। केवल राशन कार्ड की फोटोकापी लगाएगा।
- मुद्रित फॉम में सूचना –ऐसे प्रकाशन हेतु मूल्य निर्धारित होता है अथवा प्रकाशनों से उद्धरण हेतु फोटोकापी के लिए 2रू0 प्रति पृष्ठ

निरक्षण शुल्क– पहले घंटे हेतु कोई शुल्क नहीं और उसके पश्चात प्रत्येक घंटे अथवा उसके भाग के लिए 5 रू0 प्रति घंटे की दर से शुल्क

कितने समय के भीतर सूचना मुहैया करवाई जानी चाहिए

अधिनियम के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि जन सूचना अधिकारी 30 दिन के भीतर सूचना मुहैया करवाएगा किन्तु किसी नागरिक के जीवन तथा स्वतंत्रता के संबंध में अनुरोध की गई जानकारी को 48 घंटे के भीतर दिया जाना चाहिए अथवा अस्वीकार किया जाना चाहिए।

आवेदन अस्वीकार करने के मामले में हल

यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक प्राधिकारी से सूचना मांगे जाने हेतु उसके आवेदन को अस्वीकृत किए जाने से व्यथित है तो उसके पास ऐसे अस्वीकरण हेतु निम्नलिखित हल उपलब्ध है।

- **अपील** –अपील को विभागीय प्राधिकारी को किया जा सकता है।यदि अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय संतोषजनक नही लगता है तो सूचना आयोग को दूसरी अपील की जा सकती है।

दोषी पदाधिकारियों हेतु दण्ड–

जन सूचना अधिकारी पर निम्नलिखित मामलो दण्ड लगाया जा सकता है–

- जहॉ उसने किसी आवेदन को प्राप्त करने से मना कर दिया है।
- जहॉ वह निर्धारित समय सीमा के भीतर जानकारी प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है।
- जहॉ वह अनुरोध को खराब मंशाओं से अस्वीकार करता है।
- जहॉ वह पता हाने के बावजूद असत्य,अपूर्ण अथवा भ्रामक जानकारी देता है।
- जहॉ वह जानबूझकर मांगी गई सूचना को नष्ट करता है।
- जहॉ वह प्रक्रिया में बाधा डालता है।

सूचना हेतु किसी आवेदन को स्वीकार करने से मना करने अथवा सूचना मुहैया न करवाने हेतु दण्ड 250 रू0 प्रति दिन है परन्तु दण्ड की कुल राशि 25000रू0 से अधिक नहीं हो सकती है।

अध्याय 12– घरेलु कामगार कल्याण और समाजिक सुरक्षा अधिनियम 2010

घरेलु कामगार कल्याण और समाजिक सुरक्षा अधिनियम 2010– घरेलु कामगार जैसे बच्चों और महिलाओं का शोषण लगातार सुनने में आता है। घरेलु कामगारों के हित के लिए नियम और अधिकार बनाए गए है जो इस अधिनियम के अंतर्गत प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा बच्चों और महिलाओं पर हो रहे शोषण को रोका जा सके।

अधिनियम की मुख्य बातें–

- जम्मू और कश्मीर को छोड.कर सभी राज्यों में यह अधिनियम लागू है परन्तु यह विदेश में रहे लोगों पर लागू नही है।
- अधिनियम के अंतर्गत घरेलु कामगार कल्याण कोष की स्थापना की है।
- सभी घरेलु कामगार जो 18 वर्ष आयु पूर्ण की हो या 65 वर्ष से कम आयु हो तथा 90 दिन से अधिक और 12 माह से कम लाभार्थी किसी जगह कार्य किया हो वह इस अधिनियम के अंतर्गत जिला बोर्ड में पंजीकृत करवा सकता है। पंजीकृत करवाने के लिए घरेलु कामगार(लाभार्थी) निर्धारित प्रारूप के साथ सगंलग्नक,शुल्क जिला बोर्ड को आवेदन करें।
- लाभार्थी का आवेदन निरस्त होने पर 30 दिन के भीतर राज्य बोर्ड में अपील कर सकता है।
- घरेलु कामगार को पंजीकृत होने के बाद जिला बोर्ड एक पहिचान पत्र और पासबुक देता है जो बैंक में खाता खोलने के काम आता है। घरेलु कामगार की आयु 65 वर्ष हो गई या वह 90 दिन से कम कार्य किया हो तो जिला बोर्ड उसका खाता बंद करने का अधिकार है।
- लाभार्थी अपने मालिक से कहकर वेतन से शुल्क कटवा कर जमा कर सकता है और मालिक जिला बोर्ड में यह शुल्क जमा करेगा।

लाभार्थी अपना अंश नही जमा कर सकता है–

जब लाभार्थी अपना अंश लगातार एक वर्ष तक नहीं जमा करता है तो लाभार्थी का खाता बंद कर दिया जायेगा।यदि लाभार्थी द्वारा उचित कारण अपना अंश न जमा करने का बताया गया तब जिला बोर्ड बकाया राशि जमा कर सकता है।

नियोक्ता और सेवा प्रदाता के कर्तव्य–

- प्रत्येक नियोक्ता और सेवा प्रदाता घरेलु श्रमिकों का विवरण जिला बोर्ड को उपलब्ध कराना होगा तथा बोर्ड द्वारा अधिकृत व्यक्ति निर्धारित शुल्क जमा कर सकता है।
- किसी सेवा प्रदाता या एक व्यक्ति /एजेंसी घरेलु कामगार का व्यापार करने के लिये जिला बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
- सेवा प्रदाता सभी घरेलु श्रमिकों का रिकार्ड रखेगा।

कार्य का घंटा–

- कोई भी श्रमिक आराम और खाने के साथ 9 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेगा और सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेगा। ओवर टाईम 10 घंटे प्रतिदिन से अधिक और प्रति सप्ताह 50 घंटे से अधिक नहीं होगा।
- श्रमिक का ओवर टाईम का वेतन साधारण वेतन से दुगुना होगा और ओवर टाईम का भुगतान अगले सप्ताह से प्रारम्भ हो जाना चाहिए।
- कोई भी श्रमिक को 5 घंटे से अधिक आराम और 5 घंटे से अधिक लगातार कार्य करने के बाद कम से कम 1/2 घंटे का आराम करने का प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत है।
- सभी श्रमिक को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी देने का प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत है।
- सभी श्रमिक को सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन के अनुसार भुगतान करना होगा यदि कार्य टुकड. में कार्य किया गया हो।

अपराध और दण्ड–

- अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर सेवा प्रदाता को 1 वर्ष का कारावास और दोष के प्रकृति के आधार पर 3 माह तक बढ.ाया जा सकता है और दो हजार तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है अथवा प्रतिदिन 100रू0 का जुर्माना हो सकता है।
- यदि कोई व्यक्ति अपराध के लिए दोषी ठहराया गया तो उसे 1 वर्ष का कारावास दोष के प्रकृति के आधार पर 6 माह तक बढ.ाया जा सकता है और दो हजार से 5 हजार तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
- कोई व्यक्ति जान–बूझकर जिला बोर्ड द्वारा जॉच में घुमराह या गलत जानकारी देता है तो उसे 1 वर्ष का कारावास और दोष के प्रकृति के आधार पर 3 माह तक बढ.ाया जा सकता है और दो हजार तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
- कोई व्यक्ति जान–बूझकर किसी भी लड.की या औरत को अनैतिक कार्य के लिए भेजता है या घरेलु कामगार जैसे वयस्क बच्चे का यौन उत्पीड.न करवाने में शामिल है तो उसे कम से कम 3 वर्ष का कारावास और 2000रू0 का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

मुकदमें की सीमा–

राज्य या जिला बोर्ड द्वारा शिकायत आने पर शिकायत के दिन से 1 वर्ष के भीतर किसी न्यायलय को इस अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध को संज्ञान में लेने का अधिकार है।

अध्याय 13– सरकार की प्रमुख योजनाएं

1 मनरेगा (महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) – अधिनियम का मूल उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के प्रत्येक परिवार को एक वर्ष के दौरान कम से कम 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराना है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 150 दिन) ताकि ग्रामीण भारत में रोजगार सुरक्षा को और बेहतर बना सके।इस रोजगार गारंटी से उत्पादक सम्पदाओं का निर्माण करने,पर्यावरण की रक्षा करने जैसे जल संरक्षण एवं जल संचय,सूखे से बचाव के लिए वृक्षारोपण और वन सरंक्षण, भूमि सुधारों,ग्रामीण औरतों के सशक्तिकरण,गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन पर अंकुश लगाने और सामाजिक समानता सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। इसका क्रियान्वयन राज्य,जिला,ब्लाक,पंचायत और ग्राम सभा के माध्यम से हो रहा है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

- रोजगार चाहने वाला सदस्य सादे कागज पर आवेदन लिखकर रोजगार के लिए अपना/परिवार का जिसे रोजगार चाहिए रोजगार सेवक/ग्राम सचिव के माध्यम से ग्राम पंचायत में पंजीकृत करवा सकता है और 15 दिन में रोजगार कार्ड उसे प्राप्त होगा। रोजगार कार्ड की अवधि 5 वर्ष होगी।पंजीकरण रजिस्टर में जिनके नाम जुड. अथवा कटे हैं ग्राम पंचायत सभा में पढ.कर सार्वजनिक रूप से सुनाया जायेगा। जॉब कार्ड बनवाने के 15 दिन के अन्दर 8 कि0मी0 की परीधि में रोजगार मिलना चाहिये।
- रोजगार उपलब्धता में महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी और रोजगार आवेदन में कम से कम एक तिहाई महिलायें हों

- प्रत्येक दिन रोजगार कार्ड में हाजिरी अवश्य अंकित कराये तथा समय से वेतन भुकतान न होने पर जिला कार्यक्रम समन्वयक से शिकायत करें।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति अपनी भूमी की नकल जिसमें वह काम करना चाहता है,ग्राम पंचायत को देगा और ब्लाक अधिकरियों द्वारा स्वीकृत होने पर वह अपनी भूमी पर कार्य करने के पश्चात रोजगार कार्ड में हाजिरी अंकित करवा सकता है।

कार्य स्थल पर उपलब्ध सेवाएं

कार्य स्थल पर जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था करना क्रियान्वयन निकाय का दायित्व होगा। चिकित्सकीय सहायता किट–प्राथमिक उपचार के लिए,पीने के लिए पानी की टैंक,अगर 6 वर्ष से कम उम्र के 5 या उससे ज्यादा बच्चें है तो शिशु केन्द्र की व्यवस्था और शिशुओं की देख–भाल के लिए शिशु–पालक होना,छाया के लिये टेन्ट होना आवश्यक है।

वेतन भुकतान के समय न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 और समान वेतन अधिनियम 1976 का अनुपालन हो रहा है कि नहीं इसके बारे में जरूर पता करें।अपने हाजिरी और गांव के विकास की सही जानकारी के लिए बेब साइट देखें

Visit on website: http://nrega.nic.in/netnrega/home.aspx

2 कृषि यंत्रीकरण योजना –कृषि यंत्रीकरण योजना में लघु व सिमांत किसानों को वरीयता तथा अनुसूचित जाति व जन जाति एवं महिला कृषकों को 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान है। जीवन शक्ति योजना के अन्तर्गत कृषि समूहों को अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है।

3 महिला सुरक्षा से संबंधित कानून में –

1. आई0पी0सी0 सेक्शन 354 में महिला से अभद्र व्यवहार बतलाया गया है।
2. आई0पी0सी0 सेक्शन 341 में महिला/लड़की का गैर कानूनी तरीके से रास्ता रोकना
3. आई0पी0सी0 सेक्शन 323 में महिला से मारपीट बतलाया गया है।